



संग्रहीत न्यायालय श्रीमान् श्रावण राजस्थ मण्डल गवान्तियर म.प.

विष. प्र० क्र० : विविध-२७४३ /२०१८/दृक्कल्पुर/शूल

31 अवैद्यक : शेष उवेश खान उम्र 35 वर्ष,

पिता स्व. श्रीख रसूल निवासी गाड़ाघाट
तहसील पाटन जिला जबलपुर

三

20-4-18

અન્ત વૈક્લફણ :

१. रहीसा ब्रेगम उम्र 56 कर्णि, पत्नी दूध, रोधरसूल
निवासी पुराना बस स्टैण्ड कैमास झिरिया
मोहल्ला हिररिया जिला हिन्दोरिया म, प्र.
 २. रजीन वी पति रेख रसूल उम्र 49 साल,
 ३. रेख मक्कूद पिता रेख रसूल उम्र 21 कर्णि
 ४. २ एवं ३ निवासी गाडाघाट, तहसील
पाटन जिला जबलपुर म, प्र.

आवैदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म. प्र. भ. राजस्व संहिता सहपाठि धारा

४५। उद्यवदार प्रक्रिया संहिता भारिजी आदेश मित्रांक २३.३.२०१८

निरस्त करके मल नस्बत्त पर प्रतिष्ठापित किये जाने बावद

श्रावेदक सानन्दीय न्यायालय से निम्नवत् निवेदन करता है :-

1. यहांकि, अपीलाधीर्ओ ने अपील क्रमांक आर - 878- 1/20 16-20 17 प्रस्तुत
किया था। जो प्रारम्भिक सुनवाई हेतु लंबित थी ।

2. यहांकि प्रकरण उपरौक्त अपीलाधीर्ओ अधिवक्ता की डायरी में दिनांक
27, 4, 20 18 को इच्छित हो गया है। अपीलाधीर्ओ अधिवक्ता जब दिनांक
27, 4, 20 18 को न्यायालय उपस्थित हुए तो संबंधित बाबू द्वारा
घता था गया कि प्रकरण उपरौक्त दिनांक 25, 3, 20 18 को अद्यम पैरवी में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक १. २७.४.३. - ८१८ जिला अन्धेरा -